न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—140/2019/223 (2019/00140)

1. श्रीमती माखुरी पत्नी जीवण,
2. नौरत पुत्र जीवण,
   जाति जाट, निवासी ग्राम मोडी, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. जीवण पुत्र राधाकिशन, जाति कुम्हार, नि0 ग्राम लवेरा, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नसीराबाद, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

3. अमराव पुत्र जीवण, जाति जाट, निवासी ग्राम मोडी, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर । **(देहांत दिनांक 16.7.2017)**

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद दिनांक 21.2.2019 अंतर्गत वाद संख्या 158/2016.

उपस्थितः—

1. श्री सुरेन्द्र सेठी, वकील अपीलांटस ।
2. श्री शशिकांत जोशी, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः— 30.12.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय एव डिक्री दिनांक 21.2.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है । व
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत 88, 188 व 92—ए राज0काश्त0अधि0 के तहत विरूद्ध अपीलांटस के पेश कर निवेदन किया कि वाकै ग्राम लवेरा, तह0 नसीराबाद में वर्किंग खसरा नंबर 939 रकबा 2—8—10 हाल खसरा नंबर 2273 रकबा 0.39 है0, वर्किंग खसरा नंबर 940 रकबा 2—2—00 के हाल खसरा नंबर 2274 रकबा 0.18 है0, 2275 रकबा 0.16 है0, वर्किंग खसरा नंबर 959 रकबा 2—4—10 के हाल खसरा नंबर 2310 रकबा 0.17 है0, 2311 रकबा 0.19 है0, वर्किंग खसरा नंबर 960 रकबा 2—3—00 के हाल खसरा नंबर 2312 रकबा 0.17 है0, 2313 रकबा 0.17 है0, वर्किंग खसरा नंबर 961 रकबा 1—7—10 के हाल खसरा नंबर 2315 रकबा 0.22

है0, वर्किंग खसरा नंबर 966 रकबा 1–18–00 के हाल खसरा नंबर 2314 रकबा 0.31 है0 एवं वर्किंग खसरा नंबर 975 रकबा 00–04–10 के हाल खसरा नंबर 2309 रकबा 0.04 है0 भूमि अवस्थित है । उपरोक्त आराजियात वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 6.4.1999 से क्रय कब्जा प्राप्त किया तथा क्रय दिनांक से काबिज काश्त चला आ रहा है । पंजीकृत विक्रय पत्र की पालना में नामांतकरण संख्या 207 दिनांक 5.3.2004 को अधिकार अभिलेख में अमल हो गया किन्तु दौराने बंदोबस्ते हाल जमाबंदी बनाते समय राजस्व अधिकारियों ने बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के वादग्रस्त आराजियात को प्रवितादीगण के नाम पुनः दर्ज कर दी । अतः वाद वादी स्वीकार कर वादग्रस्त आराजियात का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधज्ञा पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 21.2.2019 द्वारा वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद स्वीकार कर डिक्री पारित की । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री पारित करते समय पत्रावली पर उपलब्ध प्रतिवादी के जवाबदावा के कथनों का सम्यक रूप से अवलोकन नहीं कर निर्णय व डिक्री पारित की है । अपीलांटस/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे में यह कथन किया गया था कि वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने विवादित आराजियात के समस्त खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है जिससे वादी का वाद अपूर्ण पक्षकार के अभाव में निरस्त किये जाने योग्य था । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि वादग्रस्त सम्पति पुश्तैनी है तथा प्रतिवादीगण के पिता जीवण पुत्र मांदू की है । जीवण पुत्र मांदू के जो वारिसान है जो प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के अलावा सुप्या देवी पुत्री जीवण व सुमित्रा पुत्री जीवण है जिन्हें वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है । प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को उक्त सम्पति विक्रय करने का अधिकार नहीं था । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 का शपथ पत्र दिनांक 19.2.2019 को पेश किया जिसमें प्रतिवादी संख्या 3 उमराव पुत्र जीवण का देहांत हो गया था उक्त कथन शपथ पत्र में अंकित था तथा न्यायालय के समक्ष मौखिक रूप से प्रतिवादी संख्या 3 के देहांत की सूचना भी दी थी तथा वादी को भी उमराव के देहांत की सूचना दी थी परन्तु इसके बावजूद भी वादी ने अधी0न्याया0 न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 22 नियम 4 जा0दी0 पेश नहीं किया । बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 5.2.2019 को तनकियात कायम की गई । उक्त प्रकरण में आगामी तिथि दिनांक 11.2.2019 वादी साक्ष्य हेतु नियत की । वादी ने शपथ पत्र पेश किया जो प्रतिवादी जिरह हेतु समय लिया परन्तु अधी0न्याया0 ने तारीख देने से इंकार कर दिया ओर कहा कि अगर जिरह नहीं करते तो आपी जिरह बंद कर दी जावेगी जबकि प्रतिवादी जिरह हेतु तीन तारीख लेने का अधिकार होता है परन्तु अधी0न्याया0 ने द्वारा प्रतिवादी की आगामी तिथि दिनांक 19.2.2019 को प्रतिवादी की साक्ष्य हेतु नियत कर दी । अधी0न्याया0 द्वारा प्रकरण को निर्णित करने हेतु जल्दबाजी की जाकर अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में यह भी कथन किया कि वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष वाद पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर प्रस्तुत किया था जिसकी सुनवाई का क्षैत्राधिकार अधी0न्याया0 को नहीं था इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने वादी/रेस्पो0 के वाद को डिक्री करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 6.4.1999 को क्रय कर कब्जा काश्त प्राप्त किया था तबा क्रय दिनांक से विवादित आराजियात पर काबिज काश्त चला आ रहा है । उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र की पालना में नामांतकरण संख्या 207 दिनांक 5.3.2004 तस्दीक किया जाकर वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का नाम अधिकार अभिलेख में दर्ज किया गया किन्तु दौराने बंदोबस्त हाल जमाबंदी बनाते समय राजस्व अधिकारियों ने बिना किसी न्यायालय के आदेशों के विवादित आराजियात को पुनः अपीलांटस के नाम दर्ज कर दिया जो विधि विरूद्ध इंद्राज है । खातेदार द्वारा विवादित आराजियात का एकबार बैचान किये जाने के उपरांत उसके समस्त अधिकार क्रेता रेस्पो0 में निहित हो चुके थे तथा विवादित आराजियात में विक्रेता अपीलांटस के किसी प्रकार के अधिकार शेष नहीं रहते है । बहस में यह भी कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादीगण/अपीलांटस को जिरह हेतु समुचित अवसर प्रदान किया गया किन्तु जानबूझकर जिरह नहीं की गई इसलिये अधी0न्याया0 ने अपीलांटस/प्रतिवादीगण की जिरह बंद कर वाद में तनकियात कायम कर पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण उपरांत वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद डिक्री किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अधी0न्याया0 के समक्ष वादी जीवण द्वारा प्रतिवादीगण श्रीमती माखुरी, नौरत व उमराव एवं राज0सरकार के विरूद्ध वाद अंतर्गत धारा 88, 188 व 92–ए राज0काश्त0अधि0 के तहत ग्राम लवेरा स्थित वर्किंग खसरा नंबर 939, 940, 959, 960, 961, 966, 975 जिनके हाल खसरा नंबर 2273, 2274, 2275, 2310, 2311, 2313, 2312, 2315, 2314, 2309 बने है के संबंध में पेश कर कथन किया कि वादीगण द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 9.4.1999 को विवादित आराजियात क्रय कर कब्जा प्राप्त किया गया तथा पंजीकृत विक्रय पत्र की पालना में राजस्व अधिकारीगण द्वारा वादीगण के पक्ष में नामांतकरण संख्या 207 दिनांक 5.3.2004 को स्वीकृत कर वर्किंग जमाबंदी में खातेदार दर्ज कर दिया गया परन्तु वर्तमान भू–प्रबंध के दोरान वर्तमान जमाबंदी में विवादित आराजियात को गलत तरीके से वादी के विक्रेतागण प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम पुनः दर्ज कर दी गई है इस कारण घोषणात्मक वाद प्रस्तुत किया है । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादी/अपीलांट द्वारा जवाबदावा पेश कर कथन किया गया कि विवादित भूमियां पुश्तैनी भूमियां है एवं जीवण पुत्र मांदू के अतिरिक्त अपीलाधीन भूमि में सुप्या देवी व सुमित्रा जीवण की पुत्रियां सहिस्सेदार काबिज काश्तकार होने के कारण उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया एवं अधी0न्याया0 में यह भी कथन किया गया कि प्रतिवादी संख्या 3 उमराव पुत्र जीवण का देहांत हो गया है इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया परन्तु वादी/रेस्पो0 द्वारा उमराव पुत्र जीवण के कायम मुकाम को रिकार्ड पर लेने के लिये कोई कार्यवाही नही की गई एवं अधी0न्याया0 द्वारा भी मृतक पक्षकार के विरूद्ध अपीलाधीन

निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्त किये जाने योग्य है । उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस एवं पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 3 उमराव पुत्र जीवण का स्वर्गवास दिनांक 16.7.2017 को हो चुका था इसके बावजूद भी बिना मृतक उमराव के कायम मुकाम को रिकार्ड पर लिये मृतक व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित की है जिसे विधिसंगत नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है। ।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.2.2019 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वादी/रेस्पो0 द्वारा मृतक उमराव पुत्र जीवण के कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर कायम मुकाम की कार्यवाही कर उभयपक्ष को जवाब, साक्ष्य एवं सबूत का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 30.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर